समक्ष माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व निगरानी क्रमांक सन् 2017

(1) भूपेन्द्र कुमार वैसाखिया आयु 66 वर्ष तनय स्वर्गीय बाबूलाल वैसाखिया
(2) राजेन्द्र कुमार वैसाखिया आयु 58 वर्ष तनय स्वर्गीय बाबूलाल वैसाखिया
(3) योगेन्द्र कुमार वैसाखिया आयु 56 वर्ष तनय स्वर्गीय बाबूलाल वैसाखिया
समस्त निवासी हरपालपुर तहसील नौगाँव, जिला छतरपुर (म.प्र.)

--- आवेदकगण / निगरानीकर्ता

बनाम

(1) शासन मध्य प्रदेश
(2) रामकिशुन यादव तनय धनीराम यादव निवासी ग्राम गुडो तहसील नौगाँव, जिला छतरपुर (म.प्र.)

--- अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 22.06.2017 जो श्रीमान् तहसीलदार महोदय, नौगाँव ने अपने राजस्व प्रकरण क्र. 843 / बी 121 / 16x17 में पारित किया है।

महोदय,

निगरानीकर्ता / आवेदकगण सादर विनय करते हैं :–

(1) यह कि, इस निगरानी में माननीय तहसीलदार महोदया नौगाँव को "माननीय अधीनस्थ न्यायालय" के नाम से लेख कर सम्बोधित किया गया है से जाना जायेगा ।

(2) यह कि, भूमि खसरा क्र. 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 कुल किता 4 रकवा 14 एकड़ 24 डिसिमल स्थित मौजा नाऊपहारिया, तहसील नौगाँव, जिला छतरपुर (म.प्र.) जिसे आगे इस निगरानी में "वादग्रस्त भूमि" के नाम से लेख किया गया है से जाना जायेगा ।

(3) यह कि, गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 2 रामकिशुन यादव को इस

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3036 भूपेन्द्र विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी एवं अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से अभिभाषक नीलेश सिंह तोमर एवं शासन की ओर से अभिभाषक श्री विवेक भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार नौगांव के प्रकरण क्रमांक 843/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 22-06-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 31-08-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लियें सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व	

अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''

4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 26-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

30.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य